

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2013/आबाढ़ 5, 1935

No. 139]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASHADHA 5, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

सं. एल. 19017/1/2008-यू एच (खण्ड-III).—सरकार ने शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीबों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों को उत्तम प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं मुहैया कराने के लिए व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के तहत एक उप- मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। यह मिशन 50,000 से अधिक आबादी वाले सभी नगरों/शहरों, सभी जिला मुख्यालयों तथा राज्यों की राजधानियों में शुरू किया जाना है। 50,000 से कम आबादी वाले शहरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूसरे उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य शहरी आबादी, विशेषकर झुग्गीवासियों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों को शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) की सिक्रय भागीदारी से उत्तम स्वास्थ्य परिचर्या तक समान सुविधाएं प्रदान करके उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव है कि जहां अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन शहरों/नगरों में समुचित जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें नई अवस्थापना के निर्माण का प्रावधान होगा, मौजूदा जन-स्वास्थ्य प्राथमिक प्रणालियों को मजबूत बनाया जाएगा,मुनाफा कमाने वाले तथा गैर-मुनाफा वाले निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी स्थापित की जाएगी तथा महिला आरोग्य सिमिति (एम ए एस) एवं प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) नाम से ज्ञात संपर्क कार्यकर्ताओं जैसी समुदाय स्तरीय संस्थाओं के जरिए समुदाय का क्षमता-निर्माण किया जाएगा तथा शहरी स्थानीय निकायों जैसे प्रमुख स्टेकहोल्डरों के क्षमता निर्माण और गरीबों में सबसे उपेक्षित वर्गों को शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

2818 GI/2013

- 3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में एन. आर. एम. के तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर पहले से निर्मित संस्थागत अवस्थापना सुविधाओं का प्रयोग एन. एच. एम. तथा एन. यू. एच. एम. के उप-मिशन के प्रचालन के लिए किया जाएगा। तथापि, एन. यू. एच. एम. के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए एन. आर. एच. एम. के तहत विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। मौजूदा प्रशासनिक संरचनाओं तथा एन. आर. एच. एम. के तहत मौजूदा वित्तीय तंत्र को भी एन. यू. एच. एम. की सेवा में लगाया जाएगा।
 - (i) केन्द्रीय स्तर पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन संचालन समूह (एम. एस. जी), सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ई पी सी) तथा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एन. पी. सी. सी) समग्र रूप से मार्गदर्शन देने तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होंगी। शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री को पहले से विद्यमान मिशन संचालन समूह में शामिल किया जाएगा। सचिव, शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन तथा सचिव, शहरी विकास को सदस्यों के रूप में सहयोजित करके मौजूदा अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति का विस्तार किया जाएगा।
 - (ii) एन. यू. एच. एम. के कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा उसको मॉनिटर करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एन. पी. एम. यू) का गठन किया जाएगा।
 - (iii) राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने के लिए एन. आर. एच. एम. की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को मजबूत बनाया जाएगा।
 - (iv) उपर्युक्त के अलावा, नगर स्तर पर राज्य या तो अलग से एक नगर शहरी स्वास्थ्य मिशन/नगर शहरी स्वास्थ्य सोसायटी के गठन का निर्णय ले सकते हैं या अतिरिक्त स्टेकहोल्डर सदस्यों के साथ मिलकर एन. आर. एच. एम. के तहत मौजूदा जिला स्वास्थ्य सोसायटी/मिशन की मौजूदा संरचना का उपयोग कर सकते हैं। राज्य/नगर/शहर की विशेष आवश्यकता के आलोक में राज्य सरकारों को उपयुक्त संदर्भ-निर्धारण और लचीलेपन की अनुमित दी जाएगी।
 - (v) एन. यू. एच. एम. के क्रिया-कलापों के प्रबंधन में म्युनिसिपल आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला समाहर्ता/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में किसी नगर स्तरीय शहरी स्वास्थ्य समिति द्वारा इस आधार पर समन्वय स्थापित किया जा सकता है कि वह नगर एक जिला मुख्यालय है अथवा सब-डिविजनल मुख्यालय। इससे, विशेष :प से नगर में रोगों/महामारियों के फैलने पर उसकी रोकथाम के समय, महिला एवं बाल विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
 - (VI) सात बड़े नगरों, नामतः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद में उप-मिशन एन. यू. एच. एम. को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- 4. चूंकि एन. आर. एच. एम. और एन. यू. एच. एम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के दो घटक होंगे, अतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव एवं मिशन निदेशक एन. आर. एच. एम. और एन. यू. एच. एम. दोनों उप-मिशनों के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) होंगे।
- 5. इसी प्रकार राज्य स्तर पर एन. आर. एच. एम. के राज्य निदेशक, मौजूदा एन. आर. एच. एम. के अलावा एन. यू. एच. एम. के उप-मिशन का कार्य भी देखेंगे। एन. आर. एच. एम. व एन. यू. एच. एम. दोनों के उप-मिशनों को शामिल करते हुए राज्य मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक होंगे।
- 6. मिशन संचालन समूह और अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को अनुलग्नक में यथा उल्लिखित एन. यू. एच. एम. के तहत अनुमोदित योजनाओं/व्यय मदों के मानदंडों में संशोधन करने का समान अधिकार दिया गया है, जैसा कि एन. आर. एच. एम. के लिए पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।
- 7. मिशन निदेशालय को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए ताकि वह ईपीसी और एम. एस. जी. के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत सहमत परिणामों को प्राप्त किया जा सके। अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम. को मिशन

संचालन समूह द्वारा यथा अनुमोदित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए है। इसके अलावा, मिशन को मिशन संचालन समूह द्वारा यथा अनुमोदित अपने स्वयं के नियम और प्रक्रियाएं बनाने का भी अधिकार है।

केशव देसिराजु, सचिव अनुलग्नक

मिशन संचालन समूह (एम. एस. जी) को सभी योजनाओं और घटकों, जो एन. आर. एच. एम. और एन. यू. एच. एम. के भाग हैं, के संबंध में वित्तीय मानदंडों का अनुमोदन करने का पूर्ण अधिकार है। मिशन संचालन समूह द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर यह शर्त है कि एन. आर. एच. एम. और एन. यू. एच. एम. के संबंध में एक रिपोर्ट सहित वित्तीय मानदंडों में रहोबदल, चल रही योजनाओं में संशोधनों तथा नई योजनाओं के ब्योरे वार्षिक आधार पर मंत्रिमंडल के समक्ष सूचनार्थ रखे जाएं। एम. एस. जी. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है और मिशन की अधिकार-प्राप्त कार्यक्रम समिति को नीतियों और प्रचालन में सलाह देता है।

अधिकार-प्राप्त कार्यक्रम समिति (ई. पी. सी) को मिशन संचालन समूह (एम. एस. जी) द्वारा अनुमोदित वित्तीय मानदंडों में 25 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है, इससे अधिक रहोबदल एम. एस. जी. के अनुमोदन से होंगे। अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर यह शर्त है कि एन. आर. एच. एम. और एन. यू. एच. एम. के संबंध में एक प्रगति रिपोर्ट के साथ वित्तीय मानदंडों में रहोबदल, चल रही योजनाओं में संशोधन तथा नई योजनाओं के ब्योरे वार्षिक आधार पर मंत्रिमंडल के समक्ष सूचनार्थ रखे जाएं।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th May, 2013

- No. L. 19017/1/2008-UH(Vol.III).—The Government has launched the National Urban Health Mission (NUHM) as a sub-mission under an overarching National Health Mission (NHM) for providing quality primary healthcare services to the urban population, especially the urban poor and other vulnerable sections of society. The Mission is to be launched in all cities/towns with a population of more than 50,000, all district headquarters and state capitals. Towns with a population below 50,000 will be covered under the National Rural Health Mission (NRHM), the other sub-mission of the National Health Mission.
- 2. National Urban Health Mission (NUHM) aims to improve the health status of the urban population, particularly the slum dwellers and other vulnerable sections by facilitating equitable access to quality health care with the active involvement of the Urban Local Bodies (ULBs). It proposes to achieve its objectives by developing appropriate public health delivery system across cities/towns with provisions for creating new infrastructure where none exists, strengthening the existing primary public health systems, entering into partnerships with for-profit and not-for-profit private sector, improving access and building community capacity through community level institutions like *Mahila Arogya Samiti* (MAS) and link workers called Accredited Social Health Activists (ASHA), capacity building of key stakeholders like ULBs, and by making special provision for inclusion of the most vulnerable amongst the poor.
- 3. The National Urban Health Mission would use the institutional structures already created under NRHM at the national, state and district levels for operationalisation of the NHM and sub-mission of the NUHM. However, in order to provide dedicated focus to issues relating to urban health, the institutional mechanism under the NRHM at various levels would be strengthened for NUHM implementation. The existing governance structures and financial mechanisms existing under the NRHM would also serve NUHM as well.
- i. At the central level, the Mission Steering Group (MSG) under the Union Health Minister, the Empowered Programme Committee (EPC) under the Secretary (H&FW) and the National Programme Coordination Committee (NPCC) under the Mission Director will be responsible for providing overall guidance and taking important decisions. The Ministers of HUPA and Urban Development will be included in the already existing MSG. The existing EPC will be expanded by co-opting Secretary, HUPA and Secretary, Urban Development as members
- ii. At the central level, a National Programme Management Unit (NPMU) would be created to facilitate and monitor implementation of NUHM.

iii. To enhance the program management capacity at state level, the State PMU of the NRHM would be strengthened.

iv. In addition to the above, at the City level the States may either decide to constitute a separate City Urban Health Mission/City Urban Health Society or use the existing structure of the District Health Society/Mission under NRHM with additional stakeholder members. In light of state/city/town specific need, suitable contextualization and flexibility would be allowed to State Governments.

v. The management of NUHM activities may be coordinated by a city level Urban Health Committee headed by the Municipal Commissioner/District Magistrate/ Deputy Commissioner/District Collector/Sub-Divisional Magistrate/Assistant Commissioner based on whether the city is a district headquarters or a sub-divisional headquarter. This would help ensure better coordination with other related departments like Women & Child Development, Water Supply and Sanitation especially in times of response to disease outbreaks/epidemics in the city.

vi. For the seven mega cities, namely Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad and Ahmadabad, the sub-mission NUHM will be implemented through the respective ULBs.

4. As NRHM & NUHM would be two components of the National Health Mission (NHM), Additional Secretary & Mission Director, Ministry of Health & Family Welfare would be Additional Secretary & Mission Director (NHM), comprising both the sub-missions of NRHM and NUHM.

5. Similarly at the State level, State Mission Director, NRHM would also look after the sub-mission of NUHM in addition to the existing NRHM. State Mission Director would be Mission Director, National Health Mission encompassing both the sub-missions of NRHM and NUHM.

6. The Mission Steering Group and the Empowered Programme Committee have been empowered to make modifications of norms of approved schemes/ items of expenditure under NUHM, similar to that already approved for NRHM, as detailed out in the Annexure.

7. The Mission Directorate has been vested with adequate administrative and financial powers to enable it to achieve the agreed outcomes under the overall guidance of EPC and MSG. Additional Secretary and Mission Director, NHM is vested with administrative and financial powers as approved by the Mission Steering Group. Additionally, the Mission will also have the power to frame its own rules and procedures as approved by the Mission Steering Group.

KESHAV DESIRAJU, Secy.

Annexure

The Mission Steering Group is fully empowered to approve financial norms in respect of all schemes and components which are part of NRHM & NUHM. The exercise of delegated powers by the MSG is subject to the condition that a progress report regarding NRHM & NUHM, along with deviation in financial norms, modifications in on-going schemes and details of new schemes are placed before Cabinet for information on an annual basis. The Mission Steering Group lays down the policies and programs for the Health Sector and advises the Empowered Programme Committee of the Mission in policies and operation.

The EPC has been given the flexibility to change financial norms approved by the MSG within a range of 25%, with larger variations being approved by the MSG. The exercise of delegated powers by the EPC is subject to the condition that a progress report regarding NRHM & NUHM, along with deviation in financial norms, modifications in on-going schemes and details of new schemes are placed before Cabinet for information on an annual basis.